आवास बन्धु
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ0प्र0 शासन

प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ
दूरभाषः : 0522-4070570
E-mail: awasbandhu@gmail.com
website:http://www.awasbandhu.in

संख्याः 1629 /आ0ब0-1/निदेशक/2024-25

दिनांकः 25 नवम्बर, 2024

प्रेषक,

निदेशक,
आवास बन्धु,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
उ0प्र0।

विषय : उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा नियमावली के प्रख्यापन के सम्बन्ध में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-5(ख) के रूप में अकेन्द्रीयित सेवाओं के सृजन के लिए प्राविधान किये जाने हेतु उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 में संशोधन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर संस्तुति एवं संशोधन का प्रारूप उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-I/799259/2024/8-5001(099/67/2024 दिनांक 19.11.2024 द्वारा सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक समिति गठित करते हुए 01 माह की अवधि में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 में संशोधन के सम्बन्ध में संस्तुति सहित संशोधन का प्रारूप उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप के क्रम में समिति की बैठक हेतु उ0प्र0 विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा के पदों से सम्बन्धित कतिपय विवरण की आवश्यकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इस सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप पर वांछित सूचना एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रश्नगत प्रकरण में समिति की बैठक शीघ्र आहूत करायी जा सके।

संलग्नक :यथोक्त।

भवदीय
25/11/24
(रवि जैन)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः- विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5 उ.प्र. शासन को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(रवि जैन)
निदेशक

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा के पदों का विवरण

क्रमांक	संवर्ग का नाम	पदनाम व वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	प्रोन्नति के प्राविधान का विवरण	विद्यमान नियमावली का विवरण **(प्रति भी संलग्न की जाय)**	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8